

झाव-न्यू को गृह अंगरेजी के
विना बाट हारा थेजे जाने के लिए
अनुमति देतुपर्यंत प्रधान मंत्री
एवं चौ. 2 डबलू. वी. 505798.



मध्यप्रदेश राजपत्र
प्रकाशन संस्कार

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

अप्रैल 1921]

भारत, यांवर, दिनांक 25 अप्रैल 1935—वैशाख 5, शक 1920

पिछड़ा बर्ग एवं अत्यसंख्यक कल्याण विभाग

मंत्रालय, बलभ भवन, भोपल

भोपल, दिनांक 24 अप्रैल 1938

त्र. 1026-२७-चौद०-१-४३०.—मध्यप्रदेश राज पिछड़ा बर्ग आयोग अधिनियम, 1935 (क्रमांक 26 सन् 1925) को द्या 13 की
उपलग (1) और या १५ के सम्बन्धित परा १८ हाउ प्रदान शक्तियों औं प्रयोग में लाहौ तुर, राज नाकार, द्वादश विद्युत विभाग
के अधीन।—

१. संक्षिप्तान्माम प्रारंभ.—(१) इन नियमों का संक्षिप्तान्माम प्रयोग देश, एवं पिछड़ा को आयोग (लेखा को विभाग अंतर्गत दिलें) द्वारा, 1928 है।

(२) ये मध्यप्रदेश राजपत्र में उनके उकासा को तारीख से प्रकृता होंगे।

२. परिचायाएँ.—इन नियमों में ज्ञात तक कि संदर्भ से अन्यथा जगेंगत न हो,—

(क) "आयोगियम" से अभिभृत है मध्यप्रदेश राज पिछड़ा बर्ग आयोग अधिनियम, 1935 (क्रमांक 26 सन् 1925),

(ख) "लेखा अंतर्गत अधिकारी" से अभिभृत है मध्यप्रदेश राज मध्यप्रदेश व्यालियम वा उपके हाउ के राज माकार हाउ आयोग के लंबा
प्रयोग के संबंध में नियुक्त व्यक्ति,

(ग) "अध्यक्ष" से अभिभृत है उद्धिनियम को द्या ३ को उपभार (२) के खल (क) के अंतर्गत उपकार हाउ आयोग वा
अध्यक्ष (चैकरपसन),

(घ) "आयोग" से अभिभृत है अधिनियम की द्या ३ के अंतर्गत गठित प्रशासन एवं पिछड़ा बर्ग आयोग।

- (१) "निरीय वर्ष" से अभियेत हैं, अप्रैल को प्रारंभ होकर आगामी ३१ मार्च तक समाप्त होने वाला वर्ष,
- (२) "प्रकृष्ट" से अभियेत हैं इन विषयों से संलग्न प्रृष्ठ,
- (३) "विभागाभिक्षा" से अभियेत हैं उच्च सरकार द्वारा मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्गी क्षेत्रों के लिए घोषित विभागाध्यक्ष,
- (४) "सदस्य" से अभियेत हैं आवोग का सदस्य,
- (५) "संचिव" से अभियेत हैं बनाये गए का संचिव,
- (६) उन शब्दों की ओर अधिकारियों निचे दिये गए विषयों में प्रयोग किया गया है किन्तु पारिखणित नहीं किया है कि वही शब्द होगा जो अधिकारी में उन्हें किया गया है

१. आवोग का लेखा—(१) इंटीक वित्तीय वर्ष के लिए आवोग का वित्तिक लेखा विकास संचिव वा आवोग के द्वारा अधिकारी द्वारा दिया जाने वाला है इसे विभिन्न गणित द्वारा प्राप्तिकृत निया जाता है।

(२) आवोग द्वारा सम्बन्ध स्वयं में अनुमोदित वित्तिक लेखा का विवरण सांकेतिक द्वारा डिपायाध्यक्ष को प्रस्तुत किया जाता रहता है विभागाध्यक्ष द्वारा राज्य सरकार का उस तरीक को प्रस्तुत किया जाता है जो राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट को जाता है।

(३) आवोग, राज्य सरकार को दिया गया को विमही पुस्तीकण की गणना अधिकारी करेगा और वित्तीय वर्ष के शेष भग में संभवित दिया गया की प्राप्ति राज्य सरकार द्वारा जब भी मार्गी जाए अर्थात् छरेग।

(४) आवोग यह इनामित करते हैं कि प्राप्त राज्य के इण्डोग विवरणों और इन्हें के अनुसार किया गया है ताकि उन्होंना जाग्र भजे जाएँ।

(५) लेखा, आवोग के लेखे रखे जाने, वित्तीय विभिन्न का विभाग और विकास का परिवर्तन करेगा और यह तुम्हारिका वर्षण के लिए लेखा, विभाग विभाग और आवोग द्वारा एवं कागजात वा आवोग के लेखे की परीक्षा के प्रयोग के लिए लेखा परीक्षा अधिकारी द्वारा अनुमोदित है वह विभाग के लिए प्रस्तुत कर दिए गए हैं।

(६) लेखा का लेखा विसर्गी ग्राहिक लेखा भी नामिल्लित है इन विषयों से संलग्न प्राप्त "क्रृ" है इसके बड़न की जाती है से लेखा जाता है।

(७) अधिकारी की शार्ट १३ को उत्तमाना (१) में विटेंट लेखा का वार्षिक विवरण संचिव द्वारा लेखा की आवोग विभागाध्यक्ष द्वारा दिया जाता है।

(८) लेखा का वार्षिक विवरण जिस वर्ष से लेखा संचालित है उस वर्ष के पहलात के ३० दिन ऐ भूमि लेखा गती है और अधिकारी को प्रस्तुत किया जाता है और लेखा की विभाग अधिकारी आवोग के लेखा को लेखा रखेगा किसी तथा उच्च सरकार की भेजेग और राज्य सरकार अनुमोदन के बिना यह रिटेंट अनुपालन के लिए आवोग जो भेजेगी।

(९) लेखा द्वारा रिटेंट की प्राप्ति पर आवोग रिपोर्ट में चर्चा हो रही है कि इस द्वारा अस्तियन्तर को तीन मास के भीतर निरापेक्ष और उन मास की गई कार्यवाली की रिटेंट द्वारा नाम विभागाध्यक्ष को देया।

१. आवोग की वार्षिक रिपोर्ट—(१) लेखा, आवोगिय की शार्ट १४ में विटेंट वार्षिक रिपोर्ट उम वित्तीय वर्ष के लिये यह लंबायित है, ३१ दूसरे जन वर्ष में दूसरे दूसरे वर्ष विभिन्न विषयों से संलग्न प्राप्त "क्रृ" में दैनांन द्वारा

(१२) उपर्युक्त (१) में लेखा जांच दिये गए उत्तमाना के लिये आवोग के रूपमें लेखा जाता है।

(३) उपर्युक्त (१) में विटेंट वार्षिक रिपोर्ट द्वारा अनुमोदन के पहलात आवोग के कालाकार (चेतापहर) तथा क्षणी वर्तनों द्वारा उत्तमाना के लिये लागती है जो विभागाध्यक्ष की जाता है।

(४) अधिकारी की विभिन्न विषयों संचिव द्वारा उच्च सरकार को उस वर्ष की विभिन्न विषयों से संलग्न प्राप्त "क्रृ" में दैनांन द्वारा अस्तियन्तर कार्यवाली करने में उच्च सरकार को उच्च विभिन्न करने के लिए प्रस्तुत की जाएगी।

प्ररूप "अ"

आयोग का लेखा

[नियम 3 (6) देखिए]

31 मार्च को समाप्त वर्ष के लिये मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की प्राप्ति और संदाय लेखा

प्राप्तियां (1)	योजना (2)	गैर योजना (3)	कुल रकम (4)	संदाय (5)	योजना (6)	गैर योजना (7)	कुल रकम (8)
--------------------	--------------	------------------	----------------	--------------	--------------	------------------	----------------

1. आरभिक अतिशेष

हाथ नकदी, बैंक नकदी

I आवर्ती व्यय

1. (क) स्थापना प्रभार
1. वेतन (अध्यक्ष और आयोग के सदस्य)

2. कल्याण मंत्रालय से सहायता

अनुदान
आवर्ती
गैर आवर्ती

2. वेतन (अधिकारी और स्थापना)

3. आयोग द्वारा प्राप्त राजस्व

योजना आवर्ती
(क) विनिधान

3. वृत्तिक और विशेष सेवाओं के लिये संदाय

4. यात्रा व्यय

1. प्रत्येक मूल्य या भुनाया गया विनिधान

2. विनिधान पर ब्याज

3. बैंक खातों तथा अल्प अवधि जमा पर ब्याज

बी/एफ

बी/एफ

(ख) राजस्व प्राप्तियां

(ख) अन्य स्थापना प्रभार

1. प्रकीर्ण प्राप्तियां

(1) मजदूरी

2. आयोग द्वारा प्रभारित फीस यदि कोई हो

(2) कार्यालय व्यय

3. प्रकाशनों का विक्रय

(3) किराया दरें और कर

4. कर्मचारियों को अग्रिम के लिए ब्याज की प्रतियां

(4) प्रकाशन

(5) विज्ञापन और प्रचार

(ग) ऋण/निक्षेप प्राप्तियां

(6) आतिथ्य व्यय

(एक) कर्मचारीवृद्ध की अग्रिमों की वसूली

(7) मरम्मत और अनुरक्षण

गृह निर्माण अग्रिम

(8) फर्नीचर और फिक्सचर

मोटर कार/स्कूटर अग्रिम

(9) मशीनरी और उपस्कर

अन्य अग्रिम

(10) सुटरयान

(दो) आकस्मिक अग्रिमों की वसूली

(11) यानों का अनुरक्षण

के, लो. नि. वि. को अग्रिम

(12) पेट्रोल, तेल और स्नेहक तेल

(13) सभाएं और सेमिनार

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
डी. जी. एस. एण्ड डी. को अग्रिम प्रदायकर्ताओं को अग्रिम, अन्य अग्रिम.				(14) टेलीफोन प्रभार (15) अन्य प्रभार (16) मुकदमा (17) लेखा परीक्षा फीस			
(तीन) अन्य निक्षेप				(ग) भविष्य निधि और अन्य अंशदान			
प्रतिभूति निक्षेप अग्रिम धन निक्षेप प्रेषण प्राप्तियाँ जी.पी.एफ./सी.पी.एफ. इत्यादि प्रतिनियुक्ति धारियों में वसूली अनुज्ञापि फीस आयकर केन्द्र सरकार स्वास्थ्य स्कीम				1. पेंशन और उपदान (जिसमें पेंशन और एल.एस.पी.सी का सारांशीकरण सम्मिलित है) 2. बीमा स्कीम से सम्बद्ध निक्षेप 3. सा.भ.नि. पर व्याज 4. सा. भ. नि. अग्रिम/अंतिम संदाय 5. सी. जी. ई. एस. आई. एस./सी. जी. ई. आई. एस.			
डाक जीवन बीमा केन्द्र सरकार कर्मचारी समूह बीमा स्कीम गैर आवर्ती				(घ) अन्य संगठनों को सहायता अनुदान			
				मुकदमों और विशेष अध्ययनों में व्यय प्रोन्तिकारक शैक्षिक अनुसंधान			
				(ङ) विनिधान			
				विनिधान (अनुसूची में दर्शित होने वाले व्यौरे)			
				(च) आकस्मिक अग्रिम,			
				केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को अग्रिम, डी.जी.एस. और डी. को अग्रिम, प्रदायकर्ता को अग्रिम, अन्य अग्रिम.			
				बी/एफ			
				(छ) कर्मचारी वृद्ध को अग्रिम			
				1. गृह निर्माण अग्रिम 2. मोटर कार अग्रिम 3. मोटर कार/स्कूटर अग्रिम 4. अन्य अग्रिम			
				(ज) अन्य समायोजन (प्रेषण)			
				1. जी.पी.एफ./सी.पी.एफ. इत्यादि प्रतिनियुक्ति धारियों से. वसूली 2. अनुज्ञापि फीस			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

3. आयकर
4. केन्द्र सरकार स्वास्थ्य स्कीम
5. डाक जीवन बीमा
6. सी.जी.ई.जी.आई.एस./सी.जी.ई.आई.एस.,

(II) गैर आवती

(क) अन्य स्थापना प्रभार

1. भूमि
2. भवन
3. फर्नीचर और फिक्सचर
4. मरीनरी और उपस्कर
5. मोटर यान
6. प्रकाशन

(ख) निषेप

1. प्रतिभूति निषेप
2. अग्रिम धन निषेप

(ग) अंतिम नकद अतिशेष में

हाथ नकदी
बैंक नकदी

कुल . .

मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग

31 मार्च 199 को समाप्त अवधि के लिये भविष्य निधि और समूह बीमा स्कीमों आदि की प्राप्ति और संदाय लेखा

प्राप्तियां (1)	रकम (2)	संदाय (3)	रकम (4)
अ. साधारण भविष्य निधि		अ. साधारण भविष्य निधि	
(क) आरंभिक अतिशेष		(क) अग्रिम/निकासी/अंतिम संदाय	
(ख) अभिदान		(ख) अतिशेष का विनिधान	
(ग) अग्रिम की वसूली		(ग) अंतिम अतिशेष-बैंक नकदी	
(घ) ब्याज			
आ. समूह बीमा स्कीम		आ. समूह बीमा स्कीम	
(क) आरंभिक अतिशेष		(क) बीमा रक्षण के लिए संदाय	
(ख) बीमा निधि		(ख) बचत निधि का संदाय	
(ग) बचत निधि		(ग) विनिधान	
		(घ) अंतिम अतिशेष बैंक नकदी	

योग . .

मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग

31 मार्च को समाप्त वर्ष के लिये आय और व्यय के लेखे

व्यय (1)	योजना (2)	गैर योजना (3)	कुल व्यय (4)	आय (5)	योजना (6)	गैर योजना (7)	कुल रकम (8)
-------------	--------------	------------------	-----------------	-----------	--------------	------------------	----------------

झ. आवर्ती

(क) स्थापना प्रभार :

1. वेतन [आयोग का अध्यक्ष (चेयरपर्सन) और सदस्य]
2. वेतन (आयोग का अधिकारी और स्थापना)
3. वृत्तिक और विशेष सेवाओं के लिए संदाय
4. यात्रा व्यय

(ख) अन्य स्थापना प्रभार :

1. मजदूरी
2. कार्यालय व्यय
3. किराया, दर और कर
4. विज्ञापन और प्रचार
5. आतिथ्य व्यय
6. प्रकाशन
7. मरम्मत और अनुरक्षण
8. फर्नीचर और फिक्सचर की मरम्मत
9. मशीनरी और (उपस्कर) की मरम्मत

झ. योजना :

अ. कल्याण मंत्रालय से अनुदान द्वारा सहायता :
घटाएं-पूजोकृत सहायता अनुदान की रकम

आ. ब्याज के खाते पर प्राप्ति :

- (1) विनिधान पर ब्याज
- (2) बैंक खाते और लघु अवधि निशेप पर ब्याज

(ई) अन्य प्राप्तियां :

- (1) प्रकोण प्राप्तियां
- (2) आयोग द्वारा प्रभारित फीस यदि कोई हो
- (3) प्रकाशनों का विक्रय
- (4) कर्मचारियों को अग्रिम से ब्याज की प्राप्तियां

योग

सचिव
मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग
भोपाल।

व्यय	योजना गैर योजना कुल व्यय आय	योजना गैर योजना	कुल रकम
(1)	(2)	(3)	(4)

(अ) यानों का अनुरक्षण :

10. पेट्रोल, तेल और स्नेहक तेल
11. सभा और सेमीनार
12. टेलीफोन प्रभार
13. अन्य प्रभार
14. विधिक प्रभार
15. लेखा परीक्षा फीस

(ग) भविष्य निधि और अन्य अंशदान :

1. पेशन और उपदान
(पेशन और एलएसपीजी का सारांशीकृत मूल सम्पर्कित है)
2. सी. पी. एफ. को अंशदान
3. बीमा स्कीम से सम्बद्ध निषेच
4. सी. पी. एफ. पर व्याज
5. जी. पी. एफ. पर व्याज
6. समूह बीमा स्कीम
(क) बीमा निधि
(ख) बचत निधि

(घ) अन्य संगठनों को सहायता :

विशेष अध्ययन और मुकदमे वाजी पर व्यय

प्रोन्तिकारक और शैक्षिक अनुसंधान

आय से व्यय से की अधिकता

आय से व्यय की अधिकता

योग . .

सचिव,

भृथप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग

31 मार्च 199 को तुलनपत्र

दायित्व	रकम	आस्तियां	रकम
(1)	(2)	(3)	(4)
पूँजी अस्ति निधि	अनुसूची-1	स्थिर आस्तिया	अनुसूची-3
		त्रिनिधान	अनुसूची-3a
	अनुसूची-2	आकस्मिक अग्रिम	अनुसूची-इ
		और (अन्य ऋण)	

(1)	(2)	(3)	(4)
आय से व्यय की अधिकता			अनुसूची-ई
चालू दायित्व और उपबंध		प्रतिपूति/अग्रिम जमा धन	
प्रेषण	अनुसूची-3		अनुसूची-उ
भविष्य निधि इत्यादि	अनुसूची-4	भविष्य निधि इत्यादि	अनुसूची-ऊ
	अनुसूची-5	विविध देनदार	
		अंतिम अतिशेष	
		हाथ नकदी	
		बैंक नगदी	

योग . .

सचिव.

मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग**अनुसूची 1 पूँजी आस्तिनिधि**

क्रम संख्या	वर्णन	आरंभिक रोकड़	परिवर्धन	बट्टेखाते में डाली गई रकम	अन्त अतिशेष
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	भूमि				
2.	भवन				
3.	फर्नीजर और फिक्चर्सर				
4.	मशीनरी और उपस्कर				
5.	यान				
6.	प्रकाशन				
7.	उपहार/दान दी गई आस्तियां				
8.	अन्य				

योग . .

सचिव.

मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग**अनुसूची 2 व्यय से आय की अधिकता**

क्रम संख्या	विवरण	रकम
(1)	(2)	(3)
1.	अंतिम तुलनपत्र के अनुसार अतिशेष	
2.	व्यय से आय की अधिकता	
3.	अन्य	

योग . .

सचिव.

मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग

अनुसूची-3 विप्रेषण

क्रम संख्या (1)	विवरण (2)	प्रारंभिक अतिशेष (3)	परिवर्धन (4)	विप्रेषित रकम (5)	अन्तशेष (6)
1.	साधारण भविष्य निधि इत्यादि प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारीवृद्धि से वसूली				
2.	अनुज्ञापि फीस				
3.	आयकर				
4.	केन्द्र स्वास्थ्य स्कीम				
5.	डाक जीवन बीमा				
6.	केन्द्र कर्मचारी समूह बीमा स्कीम				
7.	अन्य				
योग . .					

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग

अनुसूची-4 भविष्य निधि इत्यादि

क्रम संख्या (1)	विवरण (2)	रकम (3)
अ.	साधारण भविष्य निधि	
1.	प्रारंभिक अतिशेष	
2.	अभिदान	
3.	अग्रिम की वसूली	
4.	ब्याज घटाइए : अग्रिम/अंतिम भुगतान/विनिधान	उप-योग
आ.	समूह बीमा स्कीम	
(क)	बचत निधि	
1.	प्रारंभिक अतिशेष	
2.	अंशदान	
3.	ब्याज घटाइए : भुगतान/विनिधान	उप-योग
(ब)	बीमा निधि	
1.	प्रारंभिक अतिशेष	
2.	अभिदान	
3.	ब्याज घटाइए : भुगतान/विनिधान	उप-योग
महा योग . .		

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग

अनुसूची-५ विविध लेनदार/अन्य दायित्व

क्रम संख्या (1)	विवरण (2)	प्रारंभिक अतिशेष (3)	परिवर्धन (4)	प्रति संदाय (5)	कुल रकम (6)
1.	प्रतिभूति जमा				
2.	अग्रिम धन जमा				
3.	विविध लेनदार				
4.	अन्य दायित्व				
	योग . . .				

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग

अनुसूची-६ आस्ति निधि

(नियत /पंजी आस्ति निधि)

क्रम संख्या (1)	विवरण (2)	प्रारंभिक अतिशेष (3)	परिवर्धन (4)	बट्टेखाते में डाली गई रकम (5)	अन्तशेष (6)
1.	भूमि				
2.	भवन				
3.	फर्माचर और फिक्चसर				
4.	मशीनरी				
5.	यान				
6.	प्रकाशन				
7.	उपहार/दान दी णाई आस्तियां				
8.	अन्य				
	योग . . .				

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग

अनुसूची-७ विनिधान

क्रम संख्या (1)	विवरण (2)	रकम (3)
1.	बैंक में नियन जमा	
	(क) प्रारंभिक अतिशेष	
	(ख) किया गया विनिधान	
	(ग) भुनाया गया विनिधान	
	(घ) अंत शेष	

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग

अनुसूची-इ आकस्मिक और अन्य अग्रिम

क्रम संख्या (1)	विवरण (2)	प्रारंभिक अतिशेष (3)	परिवर्धन (4)	बमूलियां (5)	अनाशेष रकम (6)
-----------------------	--------------	-------------------------	-----------------	-----------------	----------------------

अ. आकस्मिक अग्रिम

- (क) लोक निर्माण विभाग को अग्रिम
- (ख) महानिदेशक पूर्ति और निपटान
(डी जी एस एंड डी) को अग्रिम
- (ग) प्रदायकर्ताओं को अग्रिम

आ. कर्मचारियों को अग्रिम

- (क) घर निर्माण अग्रिम
- (ख) मोटर कार अग्रिम
- (ग) मोटर कार/स्कूटर अग्रिम
- (घ) अन्य अग्रिम

इ. अन्य अग्रिम

योग . .

सचिव.

मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग

अनुसूची-इ प्रतिभूति/अग्रिम धन जमा

क्रम संख्या (1)	विवरण (2)	प्रारंभिक अतिशेष (3)	परिवर्धन (4)	प्रति संदत्त (5)	अंत शेष (6)
-----------------------	--------------	-------------------------	-----------------	---------------------	----------------

- 1. प्रतिभूति जमा
- 2. अग्रिम धन जमा

योग . .

सचिव.

मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग

अनुमूली-३ भविष्य निधि, इत्यादि

क्रम संख्या (1)	विवरण (2)	रकम (3)
(एक)	सामान्य भविष्य निधि प्रारंभिक अतिशेष जोड़िए : वर्ष के दौरान किया गया विनिधान घटाइए : भुगाया गया विनिधान रोकड़ में अतिशेष रकम	
(दो)	समूह बीमा स्कीम (1) बचत निधि प्रारंभिक अतिशेष जोड़िए : वर्ष के दौरान किया गया विनिधान घटाइए : भुगाया गया विनिधान रोकड़ में अतिशेष रकम	
(2)	बीमा निधि प्रारंभिक रोकड़ जोड़िए : वर्ष के दौरान किया गया विनिधान घटाइए : भुगाया गया विनिधान रोकड़ में अतिशेष रकम	

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग

अनुमूली-४ विविध देनदार

क्रम संख्या (1)	विवरण (2)	प्रारंभिक अतिशेष (3)	परिवर्धन (4)	समायोजन (5)	अंत शेष (6)
अ.					
आ.					
इ.					
ई.					
योग .					

सचिव,